कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सरगुजा, अम्बिकापुर (छ0ग0)

—:: आदेश ::—

क्रमांक / 433 / एस0डब्ल्यू / 2021 अम्बिकापुर, दिनांक 28 / 05 / 2021

सरगुजा जिले में कोविड—19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / 42 / एस.डब्ल्यू. / 2021 दिनांक—11.04.2021, आदेश क्रमांक / 82 / एस.डब्ल्यू. / 2021 दिनांक—17.04.2021, आदेश क्रमांक / 132 / एस.डब्ल्यू. / 2021 दिनांक—24.04.2021, आदेश क्रमांक / 244 / एस.डब्ल्यू. / 2021 दिनांक—04.05.2021 एवं आदेश क्रमांक / 335 / एस.डब्ल्यू. / 2021 दिनांक—14.05.2021 द्वारा निरंतरित दिनांक 31—05—2021 रात्रि 12:00 बजे तक की अवधि के लिए सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध अधिरोपित किये गये थे, फलस्वरूप जिले में कोविड—19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है।

जिले की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए दंडप्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर पूर्व प्रसारित उपरोक्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुए मैं संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला सरगुजा निम्नानुसार आदेश प्रसारित करता हूँ:—

1. आगामी आदेश पर्यन्त निम्नलिखित गतिविधियॉ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

1.1 स्विमिंग पूल, जिम सिनेमा हॉल / थियेटर बंद रहेंगे।

1.2 स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियॉ बंद रहेगी।

1.3 सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। रिर्सोट तथा सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल इत्यादि व अन्य सार्वजनिक स्थल समूह आयोजन आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

1.4 वैवाहिक कार्यक्रम निवास—गृह एवं होटल / मैरिज हॉल में कोविड—19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक / 40—3 / 2020—डी.एम. / 1(ए) दिनांक—29.04.2021 अनुसार आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों को कोरोना (कोविड—19) टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी।

2. सभी प्रकार के स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला—गुमटी, सुपर मार्केट / सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी / बाजार, अनाज मंडी, शो—रूम, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी—पार्लर, स्पा सेन्टर प्रातः 8:00 से संध्या 05:00 बजे तक (मंगलवार को छोड़कर) खुले रहेंगे।

2.1 जिले में संचालित होने वाले साप्ताहिक हॉट बाजार लगाने / खोले जाने की अनुमति नहीं होगी।

DISTRICT MAGISTRATE SURGUJA (AMBIKAPUR) CHHATTISGARH

क्रमशः........

Scanned with CamScanner

3. होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से ऑनलाईन/टेलीफोनिक ऑर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक–अवे की अनुमति होगी, किन्तु इन–हाउस डायनिंग पूर्ववत प्रतिबंधित रहेगी। होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय रात्रि 09:00 बजे तक तथा आम जनता/ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय 10:00 बजे तक ही रहेगा। किसी होटल में इन–हाउस अतिथियों के लिये होटल किचन/स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।

4. जिले में संचालित समस्त केन्द्रीय/शासकीय/सार्वजनिक/अर्द्धशासकीय एवं निजी कार्यालयों को अपने निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत कर्मचारियों के चक्रानुक्रम में उपस्थिति तथा अधिकारियों की शत् प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जाने एवं कार्य सम्पादित करने की अनुमति होगी, किन्तु आम जनता का प्रवेश पूर्वानुसार प्रतिबंधित रहेगा। टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख–रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग–अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन, लघु वनोपज के संग्रहण व परिवहन की अनुमति रहेगी। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु–चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिये दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।

4.1 पंजीयन कार्यालय सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क संबंधी अनिवार्यता एवं कार्यालय को सेनेटाइज करते हुये 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ टोकन सिस्टम के माध्यम से कार्य करने की शर्त पर खोले जाने की अनुमति होगी।

5. पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेंगे, किन्तु गैस एजेंसियॉ टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।

6. शासकीय उचित मूल्य दुकानों को निर्धारित समयावधि में, मास्क धारण करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़–भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन करते हुए , टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी। खाद्य अधिकारी एवं उनके स्टाफ इसका सतत पर्यवेक्षण करेंगे, एवं स्वयं इस सम्बन्ध में यथा योग्य आदेश जारी कर सकेंगे ।

7. सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण/विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड–19 जॉच कराना आवश्यक होगा, साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

8. किसी दुकान को फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ कोविड–19 संबंधी प्रोटोकाल का पालन न करते हुए भीड़–भाड़ एकत्रित कर या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जावेगी।

9. प्रतिदिन संध्या 06:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा, किन्तु इस दौरान थोक माल/वेयरहाउस/कार्गो/फल/सब्जी की लोडिंग/अनलोडिंग की अनुमति रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक रहेगी।

COLLECTORATE SURGUJA (AMBIKAPUR) CHHATTISGARH

क्रमशः.........

Scanned with CamScanner

10. आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

11. प्रत्येक मंगलवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जायेगा, इस दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल.पी.जी., पैट शॉप, न्यूजपेपर, दुग्ध/फल/सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं/सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।

12. आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी।

13. आम जनता से यह अपेक्षा की जाती है कि अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें एवं निकलते समय अनिवार्य रूप से दोहरे मास्क धारण करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।

14. यह आदेश कार्यालय संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधिनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाऐं जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल हैं, तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी। किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में अति आवश्यक कार्यो को छोड़कर आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

15. भारत सरकार/राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51–60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कठोर कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। फलस्वरूप वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक रूप से तामीली संभव नहीं हो पाने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

यह आदेश दिनांक–29.05.2021 से आगामी आदेश पर्यन्त लागू रहेगा।

DISTRICT MAGISTRATE SURGUJA (AMBIKAPUR) * CHHATTISGARH *

(संजीव कुमार झा)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
सरगुजा अम्बिकापुर

पृ0क्रमांक/ 434 /एस0डब्ल्यू0/2021 अम्बिकापुर, दिनांक 28/05/2021

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, गृह (पुलिस) विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर।

क्रमशः........

Scanned with CamScanner

2. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. आयुक्त सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर।
4. पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज, अम्बिकापुर।
5. पुलिस अधीक्षक, सरगुजा, अम्बिकापुर।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा
7. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अम्बिकापुर/सीतापुर/उदयपुर, जिला सरगुजा।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सरगुजा, अम्बिकापुर।
9. तहसीलदार/नायब तहसीलदार, सर्व जिला सरगुजा
10. आयुक्त, नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर जिला सरगुजा
11. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत सीतापुर/लखनपुर
12. खाद्य अधिकारी, अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा
13. सहायक संचालक, जन सम्पर्क, अम्बिकापुर को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशनार्थ।

DISTRICT MAGISTRATE SURGUJA (AMBIKAPUR) ★ CHHATTISGARH ★

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
सरगुजा अम्बिकापुर

Scanned with CamScanner